

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (विपक्षीय)

अज अनन्त

श्री कालुशा

वनाम डा उदयलाल

किस्म मुकदमा

128 R.T.A

नं.

45/18

सन्

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जान

23/4/18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 प
अर एक्ट का वाद जांच पेश हुआ, जिसे
रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवकाश
किया गया एक पक्षीय वहस सूनी
तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
मौजा.....को.हेडा.....
ग्राम.....को.हेडा.....की
आ.न. 2777,.....की
विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 500/-
वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

